विशेष 10

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश (भाग 2)

परिचय

बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्ष निर्माणात्मक वर्ष होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। हाल ही में हुए तंत्रिका विज्ञान अनुसंधानों (ब्रेन रिसर्च) ने बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के महत्व की पुष्टि की है। अनुसंधानों से पता चला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में सार्थक संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक और गत्यात्मक क्षमताओं के विकास के लिए कुछ 'विशिष्ट अवधियाँ' महत्वपूर्ण होती हैं, जो बाद के जीवन की सफलता में योगदान देती हैं। यह अवस्था सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत आदतों के निर्माण की नींव में भी महत्व रखती है। इस अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर के लोगों और संसार के प्रति— उसके रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों और रूपों के प्रति मुग्ध एवं जिज्ञासु होते हैं। दूसरों से जुड़ने और उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की यह योग्यता सीखने का विशेष आधार बनती है। बच्चों में संसार को अनुभव करने की योग्यता अधिक समृद्ध और विभिन्नता प्रदान करने वाली होती है। अपने परिवेश की खोजबीन करने हेतु बच्चे प्रेक्षण, प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अनुमान लगाने, विश्लेषण करने, खोज करने, जाँच-पड़ताल करने और प्रयोग करने में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे व्यापक और विस्तृत संकल्पनाओं और विचारों की रचना करते हैं, उनमें सुधार करते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। बच्चों को प्रेक्षण, खोजबीन और जाँच-पड़ताल के पर्याप्त अवसर देने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने आस-पास के और व्यापक परिवेश की समझ विकसित कर सकें।

छोटे बच्चे एक भावनात्मक रूप से सहायक और सक्षम परिवेश में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, जहाँ एक उत्तरदायी शिक्षक बच्चों के साथ सुरक्षित और सुदृढ़ संबंध बनाने में मदद करता है। ऐसे वातावरण में बच्चे खोजबीन करने, अभिव्यक्त करने, सीखने और आत्मविश्वास हासिल करने हेतु स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। साथ ही यह स्वाभाविक न्याय (इक्विटी) को प्रोत्साहित करता है, विद्यालय की उपस्थिति में सुधार लाता है, मानव संसाधन में उच्च योगदान अर्पित करता है और समुदायों तथा समाजों को व्यापक लाभ भी पहुँचाता है। अत: प्रत्येक बच्चे को समर्थ बनाने वाला वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इन प्रारंभिक वर्षों मे निवेश करना महत्वपूर्ण

*पिछले अंक में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश के कुछ पाठ्यचर्या से संबंधित पाठ दिए थे। इस अंक में पढ़ने और समझने हेतु अन्य उपयोगी पाठ दिए हैं।

होता है, जो कि न केवल उनका अधिकार है, बल्कि जीवनपर्यंत सीखने की नींव डालने का एक तरीका भी है। ऐसा बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करके छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है।

भारत सरकार ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जैसे— स्वास्थ्य और देखभाल सुविधाओं की उपलब्धि, आधारिक संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षक-प्रशिक्षण और शिक्षण-अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयास। *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986; राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005; राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल* और *शिक्षा नीति 2013; राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2013* और *प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए गुणवत्ता मानक 2013)*। अभी हाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 3 से 8 वर्ष के बच्चों अर्थात विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा 1 और 2) के लिए प्रावधानों तक पहुँच में वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के साथ, अब सभी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे 6 वर्ष के होने पर विद्यालय आएँ। शोध द्वारा पता चलता है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या अपर्याप्त विद्यालयी तैयारी के साथ प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेती है जिसकी वजह से उनके सीखने का स्तर कम रह जाता है तथा विद्यालय से बाहर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए मानक प्रतिमान की आवश्यकता है जो लचीला हो और प्रासंगिकता के अनुसार कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा अनुकूल बनाया जा सके।

प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को विकास एवं आयु अनुरूप उपयुक्त सीखने के अवसर देने की आवश्यकता है जो उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और विद्यालय शिक्षा में प्रवेश को सहज और निर्बाध बनाते हैं। इस संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक दिशा-निर्देश पुस्तिका विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

यह दिशा-निर्देश किसके लिए हैं?

यह दिशा-निर्देश सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, नियोजकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के मालिकों के लिए हैं। यह दिशा-निर्देश आवश्यक भौतिक आधारिक संरचनाओं, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, स्टाफ की योग्यताओं, वेतन और उनकी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी देते है। यह प्रवेश प्रक्रिया, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के साथ-साथ बनाए जाने वाले रिकॉर्डों और रजिस्टरों पर प्रकाश डालते हैं। यह पाठ्यचर्या का संक्षिप्त परिचय देते हैं और समन्वयन तथा अभिसरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

यह दिशा-निर्देश कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर बात करते हैं।
3 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अनुशंसा की गई है।
यह दिशा-निर्देश 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में बात नहीं करते हैं।
यह 3–6 वर्षों की आयु के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर बात करते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को दी जाती है। यह संयोजित शिक्षा का पहला स्तर है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्री-स्कूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह सरकारी और निजी विद्यालयों में किसी भी एक व्यवस्था, जैसे— आँगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री-स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्डन, मॉन्टेसरी स्कूल, और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के नाम से दी जाती है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वव्यापक, न्यायसंगत, आनंददायक, समावेशी और संदर्भित सीखने के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ावा देने पर विचार करती है। यह सब अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा बच्चों को भावात्मक रूप से समर्पित, सांस्कृतिक रूप से स्थापित, बाल-अभिमुखी, प्रेरक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराके सुनिश्चित किया जा सकता है। यह खेल और विकास संबंधी उपयुक्त पद्धतियों के माध्यम से जीवन भर सीखने के लिए प्रबल आधार निर्मित करके अभिव्यक्ति क्षमता को अधिकतम करने पर लक्षित होती है। यह स्वस्थ प्रवृत्ति, अच्छे मूल्य, विवेचनात्मक चिंतन, सहयोग, संप्रेषण, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी, साक्षरता तथा सामाजिक-भावात्मक विकास को विकसित करना और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में आना भी सुनिश्चित करती है। इससे बच्चे भविष्य में उत्पादक और संतोषप्रद जीवन प्राप्त करते हैं।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं—

- सर्वांगीण विकास और जीवनपर्यंत सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना।
- बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

- बाल-हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना जहाँ प्रत्येक बच्चे का महत्व हो, उसे आदर मिले, वह सुरक्षा और सुदृढ़ता का अनुभव करे और एक सकारात्मक आत्मधारणा विकसित करे।
- अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वस्थ आदतें और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करना।
- बच्चों को प्रभावी संप्रेषक बनने और ग्रहणशील तथा भावबोधक दोनों भाषाओं को विकसित करने में सक्षम बनाना।
- बच्चों को भागीदार शिक्षार्थी बनने, विवेचनात्मक रूप से सोचने, रचनात्मक, भागीदार, संप्रेषक बनने और अपने आस-पास के परिवेश से जुड़ने में मदद करना।
- बच्चों द्वारा पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय में बदलाव को सहज रूप से समायोजित करना।
- अभिभावकों और समुदायों के साथ हर बच्चे के विकास के अवसर प्रदान करने हेतु एक जोड़ीदार के रूप में कार्य करना।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के वर्तमान मॉडल

देश में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। वर्तमान मॉडलों में आँगनबाड़ी, निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (स्वचालित), पूर्व-प्राथमिक अभिभागों वाले सरकारी/निजी विद्यालय और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्थित आँगनबाड़ियाँ शामिल हैं।

वर्तमान	अभिसरण के लिए अनुशंसाएँ
एकीकृत बाल विकास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत (एकल) चलने वाली आँगनबाड़ियाँ	पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों को सहज रूप से संयोजित करने के लिए उनके मध्य प्रबल अभिसरण और संबंध (पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र, भौतिक संसाधनों को साझा करना, संयुक्त गतिविधियाँ स्थापित करना।)
3–6 वर्ष के मध्य आयु के बच्चों के लिए निजी, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा चलाए जाने वाले (एकल) पूर्व-प्राथमिक विद्यालय	
प्राथमिक विद्यालयों के प्रांगण में चलने वाली (को-लोकेटड) आँगनबाड़ी	
प्राथमिक विद्यालयों के साथ जुड़े पूर्व-प्राथमिक अभिभागों युक्त सरकारी या निजी विद्यालय	

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वर्तमान मॉडल

प्राथमिक कक्षाओं के साथ संयोजन (लिंकेज)

पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाएँ शिक्षा के लिए, विद्यालय के लिए और जीवन के लिए बुनियादी स्तर का निर्माण करती हैं। 3–8 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चे विकासात्मक सततता प्रदर्शित करते हैं, अत: पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र और सीखने के प्रतिफलों के बीच ऊर्ध्वमुखी संबंध (upward linkage) होने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंध के तीन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो हैं— व्यवस्थाएँ, तंत्र और व्यक्ति। ऐसे संबंधों को निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है—

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों के परिसर या उनके आस-पास स्थापित करना।
- कक्षा 1 और 2 की भौतिक व्यवस्थाओं को पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के समान ही नियोजित किया जाना चाहिए, जिसमें गतिविधि कोने, मुद्रित सामग्री से समृद्ध परिवेश और बच्चों के कार्य का प्रदर्शन हो।
- बैठने की व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और अनुभव साझा कर सकें, समस्या-समाधान कौशल, सहन करने/सामना करने के कौशल विकसित कर सकें, नियमों का पालन करें और सामाजिक तथा भावात्मक स्वस्थता की समझ प्राप्त कर सकें।
- सिखाने और सीखने में समान शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करने के साथ-साथ विद्यालय के भौतिक तथा सामाजिक-भावात्मक परिवेश (आधारिक-संरचना, संसाधनों, शिक्षक-बालक पारस्परिक क्रियाएँ आदि) के विषय में अच्छी जानकारी बनाए रखें।

- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में की जाने वाली गतिविधियों और बच्चों के पोर्टफोलियो के माध्यम से उनकी प्रगति को साझा करने के लिए निरंतर बातचीत होनी चाहिए।
- प्राथमिक कक्षाओं के साथ संसाधनों को साझा करने और वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दिवस, त्योहार, बाल मेला, वृक्षारोपण दिवस जैसी गतिविधियों को साथ-साथ करने की आवश्यकता है।

प्रवेश प्रक्रिया

कोई भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाने पर एक सुनियोजित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही तब, जब वह—

- परिवार से अलग होने की स्थिति का सामना करने योग्य हो जाए।
- कुछ मौखिक क्षमता प्राप्त कर ले और अपनी मूल आवश्यकताओं को बता सके।
- स्वयं शौचालय जा सके।

प्रवेश के लिए आयु

भिन्न-भिन्न राज्यों में उनके अकादमिक कैलेंडर के अनुसार प्रवेश के लिए तिथियाँ भिन्न हो सकती हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयु में भिन्नता है।

कक्षा 1 में प्रवेश से पहले तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अर्थात पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1, 2 और 3 सुझायी गई है।

पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1— पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यह प्रवेश बिंदु है।

पूर्व-प्राथमिक कक्षा 2— यह कक्षा पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1 की आगे की कड़ी है।

पूर्व-प्राथमिक कक्षा 3— बच्चे पूर्व-प्राथमिक कक्षा 3 को पूरा करने के बाद कक्षा 1 में प्रवेश लेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में बच्चों और अभिभावकों का लिखित या मौखिक, किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
- बच्चों को धर्म, जाति, विश्वास, प्रजाति, क्षेत्र, जेंडर, अक्षमता और परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं करना चाहिए।

- प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण-पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।
- आस-पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि प्रार्थियों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक हो तो बच्चों के प्रवेश हेतु निम्न सुझावित रणनीतियों का अनुसरण किया जाना चाहिए—

- प्रवेश का आधार 'पहले आओ-पहले पाओ' होना चाहिए।
- हाथ से या कंप्यूटर से क्रमरहित (Random) लॉटरी निकाली जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि लॉटरी निकालते समय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- राज्य मानदंडों के आरक्षण नियमों के आधार पर कोटा (नियतांश) आधारित क्रमरहित चयन होना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय जहाँ स्थित हो, जैसे— विश्वविद्यालय प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केंद्र आदि, उसकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों का कोटा निश्चित किया जा सकता है, जैसे— (i) कर्मचारियों के बच्चे, (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, (iii) एकल अभिभावक और (iv) लड़की आदि। प्रत्येक वर्ग में क्रमरहित चयन किया जा सकता है।

पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या

कक्षा में की जाने वाली हर गतिविधि और क्रियाकलाप के सम्मेलन से पाठ्यक्रम बनता है और इसकी विषयवस्तु बच्चे की प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि और पद्धतियाँ आधारभूत आरंभिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और इन्हें बच्चे की आयु और सीखने के स्तर तथा आरंभिक अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित कर लिया जाना चाहिए। बच्चों को धीरे-धीरे प्राथमिक विद्यालय की औपचारिक दिनचर्या का आदी होने के साथ साक्षरता (पढ़ना और लिखना) और संख्या-विषयक ज्ञान (गणितीय संकल्पनाओं को समझना और प्रयोग में लेना) तथा सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने में मदद की आवश्यकता होती है। अत: यह सुझाया जाता है कि आरंभिक अधिगम सिद्धांत पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या का आधार होने चाहिए। इससे शिक्षा के एक भिन्न मुकाम तक पहुँचने में मदद मिलेगी। यह उन्हें केवल सीखने के अगले पड़ाव तक जाने के लिए ही तैयार नहीं करेगा, बल्कि जीवन भर सीखने में भी मदद करेगा।

पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की अवधि

अनिवार्य

- पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की अवधि चार घंटे प्रतिदिन होनी चाहिए।
- कार्यक्रम में, दिन में कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाना चाहिए। जो कार्यक्रम लंबे समय का हो, उसमें झपकी लेने का समय भी होना चाहिए।

- शिक्षक बच्चों से पहले विद्यालय पहुँचें और उनके जाने के बाद ही विद्यालय छोड़ें, ताकि वे अगले दिन के कार्यक्रम की तैयारी कर सकें।

वांछनीय

बच्चे सप्ताह में पाँच दिन अर्थात सोमवार से शुक्रवार पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं; शनिवार का दिन शिक्षकों द्वारा पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम का मूल्यांकन करने, अगले सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनाने, शिक्षण-अधिगम सामग्री को तैयार करने, अभिभावकों से संपर्क करने; रिकॉर्ड, रजिस्टर और पोर्टफोलियो आदि के रखरखाव हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत

सीखना सतत और संचयी होता है।
तंत्रिका विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि आरंभिक अधिगम आगामी जीवन की उपलब्धियों को प्रभावित करता है।
हर बच्चा अलग होता है और वह अपनी गति से ही बढ़ता, सीखता और विकास करता है।
सीखने और विकास का आधार खेल एवं गतिविधियाँ हैं।
बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोगी अत:क्रिया (संवाद) अनिवार्य है।
अनुभवजन्य अधिगम के लिए परिवेश निर्मित करने से बच्चे सीखतें हैं।
पारस्परिक शिक्षण-अधिगम अनुभवों को समृद्ध करता है।
स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का विकास और उपयोग सीखने के अवसरों को समृद्ध करता है।
संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता और विविधताओं की सराहना अधिगम में सहायक है।
मातृभाषा/घर की भाषा ही शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए।
अधिगम में परिवार की सहभागिता योगदान देती है।

पाठ्यचर्या— मुख्य संकल्पनाएँ, शिक्षण प्रक्रियाएँ और आरंभिक सीखने के प्रतिफल

पाठ्यचर्या का स्वरूप समग्र दृष्टिकोण वाला और संदर्भ के अनुसार लचीला भी हो सकता है। पाठ्यचर्या तीन लक्ष्यों को संबोधित करती है। संप्रेषण हेतु मुख्य कौशल/ संकल्पनाएँ, शिक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाएँ और वर्ष के अंत में बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आरंभिक सीखने के प्रतिफल।

बच्चों का सीखना और विकास समग्र रूप से होता है, यह स्वास्थ्य, संज्ञान, भाषायी, व्यक्तिगत तथा सामाजिक सकुशलता/विकास के क्षेत्रों में अग्रसर होता है। बच्चे भिन्न तरीकों और भिन्न गति से सीखते हैं। पाठ्यचर्या निम्नलिखित तीन व्यापक लक्ष्यों के माध्यम से विकास के सभी क्षेत्रों को एकीकृत करती है—

लक्ष्य 1— यह लक्ष्य बच्चों के सामाजिक-भावात्मक और शारीरिक-गत्यात्मक विकास के विभिन्न

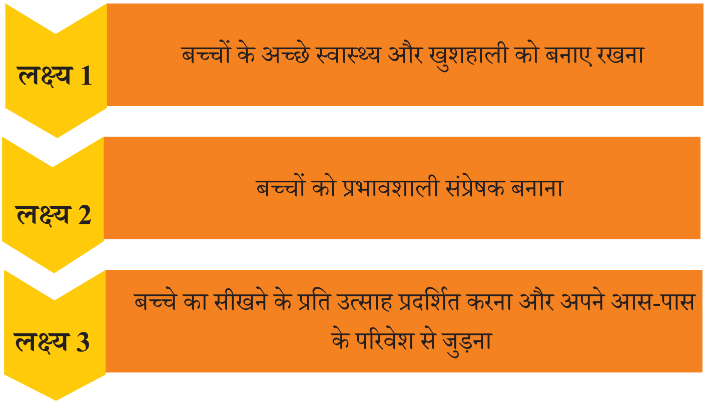

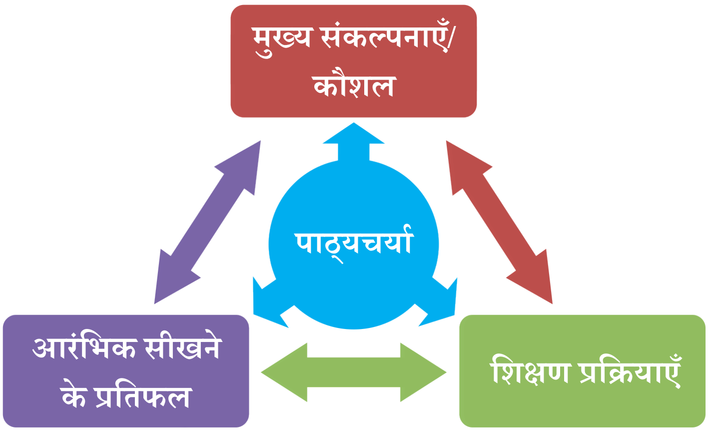

पहलुओं को उजागर करता है। इन पहलुओं में बच्चों के लिए नियोजित खेल, रचनात्मक गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सकारात्मक स्व-अवधारणा, आत्म-नियंत्रण, सामाजिक कौशल, आँख तथा हाथ का समन्वयन और स्थूल गत्यात्मक तथा सूक्ष्म-गत्यात्मक कौशलों का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त यह बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अभिविन्यास प्रदान करता है।

लक्ष्य 2— यह लक्ष्य भाषा और साक्षरता कौशलों के विकास, जो सभी क्षेत्रों में सीखने का एक अभिन्न भाग है, पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वयं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण करने के लिए बच्चों को वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ पारस्परिक क्रिया करने के अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण निर्देश के साथ अर्थपूर्ण साक्षरता गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, तो वे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल

विकसित कर लेते हैं। ये उन्हें प्रभावी संप्रेषक बनने में सक्षम बनाते हैं।

लक्ष्य 3— यह लक्ष्य बच्चों के संज्ञात्मक विकास पर प्रकाश डालता है जिसमें पर्यावरण जागरूकता और वैज्ञानिक मनोवृत्ति, गणितीय सोच और समस्या समाधान शामिल है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब बच्चे पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करते हैं, वह विभिन्न अवधारणाओं एवं कौशलों का विकास करते हैं। इस लक्ष्य का सार बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करता है जो उन्हें जिज्ञासु, सतत, अनुशासित, रचनात्मक और अभिव्यक्त करने वाला बनाए। इसके अलावा समस्या-समाधान, विवेचनात्मक चिंतन और तर्क से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए विविध प्रकार के अनुभव और गतिविधियाँ भी सुझायी गई हैं।

मुख्य संकल्पनाएँ/कौशल— प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत, संप्रेषित की जाने वाली मुख्य संकल्पनाएँ या कौशल शिक्षकों के लिए दिए गए हैं, जिनका लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यचर्या को संप्रेषित करते समय सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संकल्पना या कौशल को विभिन्न तरीकों से संबोधित किया जाए।

शिक्षण प्रक्रियाएँ—शिक्षण प्रक्रियाएँ शिक्षकों द्वारा पाठ्यचर्या को इस प्रकार संप्रेषित करने में उपयोग में ली जाने वाली कार्यनीतियाँ हैं जिसमें बच्चे खोजबीन, जाँच-पड़ताल, समस्या-समाधान और विवेचनात्मक चिंतन द्वारा अपने अधिगम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट आरंभिक सीखने के प्रतिफल प्राप्त करते हैं।

आरंभिक सीखने के प्रतिफल— आरंभिक सीखने के प्रतिफल छोटे बच्चों के सीखने और विकास के लिए अपेक्षाएँ हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चों को प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या जान लेना चाहिए और क्या करने योग्य हो जाना चाहिए। सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को खेलने, अन्वेषण करने, खोज करने और समस्या-समाधान के लिए गतिविधियों, अनुभवों, विषयवस्तु को शिक्षण विधि में सम्मिलित करना चाहिए।

नोट— विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या दस्तावेज़ देखें।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम

भाषा बच्चों की पहचान और भावनात्मक सुरक्षा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती है। यह उन्हें मुक्त रूप से अपने विचार और भावनाएँ व्यक्त करने में मदद करती है। भारत एक बहु-भाषायी देश है, जहाँ बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में अपने घर की भाषा के साथ आते हैं, जो हो सकता है कि पूर्व-प्राथमिक/राज्य की भाषा से भिन्न हो। अनुसंधान भी दर्शाता है कि जो बच्चे उनकी मातृभाषा में चलाए जाने वाले विद्यालय कार्यक्रम में जाते हैं, उन्हें बोधन/समझने की समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है। बच्चों की मातृभाषा/घर की भाषा में पढ़ाया जाना अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह संकल्पना निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के साथ काम करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। यदि मातृभाषा के रूप में

एक से अधिक भाषाएँ हैं, तो शिक्षिका कक्षा में अपनी बात कहने के लिए सभी भाषाओं की अनुमति दे सकती है और फिर धीरे-धीरे बच्चों को विद्यालय में उपयोग में ली जाने वाली भाषा से परिचित कराया जा सकता है।

आकलन

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए तथा पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। आकलन में बच्चे के विकास का प्रेक्षण करना तथा प्रलेखन शामिल होना चाहिए, अर्थात उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, दिन-प्रतिदिन के अनुभव, कला कार्य तथा अन्य उत्पादों में उनकी भागीदारी और उनका व्यवहार। क्षमताओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने, उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनमें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है और सीखने/विकासीय अंतरालों को संबोधित करने के लिए आकलन किया जाता है। विभिन्न साधनों (टूल्स) और तकनीकों, जैसे— उपाख्यानात्मक (ऐनेक्डोटल) रिकॉर्ड, जाँच सूची, पोर्टफोलियो, अन्य बच्चों के साथ पारस्परिक क्रियाओं को आकलन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। आकलन गैर-प्रतियोगी होना चाहिए।

अभिभावकों की भागीदारी

शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों का सहयोग होने से बच्चे अकादमिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह जानने के लिए कि बच्चों की रुचियाँ क्या हैं, शिक्षकों को चाहिए कि

प्रौद्योगिकी का उपयुक्त उपयोग	
क्या करें	***क्या न करें***
• कक्षा-कक्ष के भीतर अन्य बहुत से अधिगम/गतिविधि क्षेत्रों के साथ आई.सी.टी. को भी उपलब्ध कराएँ। • उपकरणों के उपयोग एवं रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश दें। • बच्चों के लिए ऐसे ऐप्स (Apps) और खेलों का पता लगाएँ जो पारस्परिक क्रियात्मक, आयु उपयुक्त हों और अभिभावकों या देखरेख करने वालों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। • पाठ्यचर्या की विषयवस्तु और अन्य खेल गतिविधियों को समृद्ध करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। • अनुचित सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बच्चों को बचाएँ।	• स्क्रीन टाइम व्यक्तिगत पारस्परिक क्रिया का स्थान न ले। • सकारात्मक व्यवहार के लिए पुरस्कार के रूप में कंप्यूटर, फोन पर समय न बिताने दें। • आई.सी.टी. के लिए मूल कला सामग्री, खेलने की गुँधी हुई मिट्टी, पुस्तकों तथा वास्तविक वस्तुओं और हाथ से करने वाले प्रयोगों का त्याग न करें।

वे परिवार से संपर्क करें और अभिभावकों को उनके द्वारा घर पर करवायी जा सकने वाली गतिविधियों के बारे में सुझाव दें। बच्चों के घर पर किए जाने वाले कार्यों के नमूने या फोटो अभिभावकों द्वारा शिक्षकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। विद्यालयों द्वारा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में गतिविधियाँ/क्षेत्र भ्रमण संचालित करने में मदद के लिए अभिभावक भी स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो सकते हैं।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रौद्योगिकी

आज भारत में मोबाइल फोन और पारस्परिक मीडिया के माध्यम से दूरस्थ प्रसंगों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका है और यह छोटे बच्चे के हाथों में भी पहुँच चुकी है। यह परिस्थिति बच्चों के सीखने और विकास के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों उपलब्ध कराती है, क्योंकि बच्चे प्रौद्योगिकी की तरफ़ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। यद्यपि भारत में इस क्षेत्र के बारे में कोई नीति नहीं है, अनुसंधान साक्ष्य सुझाते हैं कि छोटे बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी हो सकता है, यदि उसका उपयोग बच्चों के सीखने और विकास को विस्तारित करने के लिए किया जाए, जैसे— बच्चों को नई शब्दावली और संप्रेषण के तरीकों से परिचित कराना, गत्यात्मक नियंत्रण, संकल्पनात्मक समझ, अनौपचारिक संबंध आदि।

यह अपेक्षा की जाती है कि लक्ष्य 3 में शामिल मुख्य संज्ञानात्मक कौशलों का विकास आने वाले वर्षों में बच्चों को नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौतियों का सामना करने लिए सुदृढ़ नींव उपलब्ध कराएगा। परंतु यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी तभी लाभदायक है जब इसमें बड़े मध्यस्थता करें और ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें पारस्परिक संवाद हो। निष्क्रिय प्रौद्योगिकी, जो बच्चों के खेलने, खोजबीन करने, भौतिक गतिविधि और सामाजिक-पारस्परिक क्रिया का स्थान ले ले, उसे प्रत्येक स्तर पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों की सृजनात्मकता के प्रतिकूल हो सकती है। यह उनके संप्रेषण और संबंध बनाने के कौशलों को जिनका प्रारंभिक वर्षों में बहुत महत्व होता है, बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे टेलीविजन पर दी जाने वाली जन स्वास्थ्य सलाह का अनुसरण करें और दो वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए मीडिया के गैर-पारस्परिक क्रियात्मक और निष्क्रिय उपयोग पर रोक लगा दें तथा 2 से 5 वर्ष के बच्चों को इसके लिए हतोत्साहित करें। छोटे बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि यह बच्चों के सीखने और विकास के विस्तार के लिए योगदान करे, परंतु सामाजिक और संप्रेषण कौशलों, संबंध बनाने, समस्या-समाधान करने तथा बाहर खेलने के अवसरों को कम न करे।

सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण

सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य हैं। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए जहाँ बच्चों को लगे कि वे सकुशल, सुरक्षित, खुश और आराम से हैं और जहाँ वे खोजबीन और सीखने का आनंद ले सकें। यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। सहायकों और अन्य मदद करने वाले कर्मचारियों को बच्चों की देखरेख करने और उनका ध्यान रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई बनाए रखने तथा बच्चों की सुरक्षा, सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए।

सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ

भीतरी और बाहरी क्षेत्रों की सुरक्षा

- कक्षा-कक्ष में आवागमन व चलने-फिरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यह स्थान अव्यवस्था व बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। यहाँ फिसलन वाले फ़र्श और मुड़ी-तुड़ी दरियाँ नहीं होनी चाहिए। फ़र्श समतल होना चाहिए। खेलने की जगह पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए , अर्थात बच्चों को बाहर भाग जाने और किसी गंभीर चोट से जख्मी होने से बचाएँ।
- फर्नीचर बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और उसमें नुकीले किनारे नहीं होने चाहिए। किनारों, कीलों और पेंचों की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।
- दरवाज़े ऐसे न हों जिनमें अपने आप ताला या चिटकनी लग जाए।
- दरवाज़ों पर चिटकनियाँ बच्चों की पहुँच के बाहर होनी चाहिए।
- सभी खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। खिड़कियाँ सुरक्षित होनी चाहिए और उनमें कोई काँच या अन्य पुर्जा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
- खेलने के सामान में कोई ऐसा ढीला/छोटा भाग नहीं होना चाहिए, जिसे बच्चा गलती से निगल ले।
- खेलने की सामग्री/उपकरणों पर ऐसा पेंट हो जो विषाक्त (ज़हरीला) न हो।
- बाहर खेलने की जगह पर तीखी चुभने वाली चीज़ें, हानिकारक पौधे, जानवर (आवारा कुत्ते, गाय आदि) और बेकार की वस्तुएँ या खराब उपकरण नहीं पड़े होने चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी अवश्य हो, जिसमें ताले लग सकने वाला दरवाज़ा हो, ताकि अनजान लोगों, आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को अंदर आने से रोका जा सके।
- सफ़ाई करते समय, प्रतिदिन अंदर और बाहरी स्थानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि कहीं कोई नुकीली वस्तु (सुई, पिन), पेड़ की डालियाँ, विषाक्त पौधे और कुकुरमुत्ते, मधुमक्खी या ततैये के छत्ते तो नहीं हैं, साथ ही झूलों के नीचे के स्थान की गहराई से जाँच की जानी चाहिए।
- बाहर खेलने की जगह की नियमित सफ़ाई और रखरखाव होना चाहिए।
- बाहरी और भीतरी उपकरणों और खेलने के स्थान का नियमित रखरखाव होना चाहिए।
- बिजली के तारों और अन्य सामान (स्विच, प्लग आदि), बाहरी तथा भीतरी उपकरणों की सुरक्षा

संबंधी जाँच नियमित रूप से और एक निश्चित अंतराल पर की जानी चाहिए। बिजली के प्लगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें बच्चों की पहुँच से परे लगाना चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में या उसके आस-पास खुली नाली, उच्च वोल्ट वाले बिजली के तार, जलाशय नहीं होने चाहिए।
- संभावित खतरे या ज्वलनशील द्रवों जैसी वस्तुएँ, विषाक्त वस्तुएँ, साबुन और डिटर्जेंट आदि अपने मूल पात्रों पर अपने मूल लेबलों के साथ रखे जाने चाहिए। ये सब वस्तुएँ ऐसे स्थान पर रखी होनी चाहिए जो बच्चों के उपयोग में न आती हों और रसोईघर से दूर हों।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय द्वारा बच्चों को लाने-ले जाने की कोई भी व्यवस्था सुरक्षित तथा आरामदायक होनी चाहिए। वाहनों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी वाहन में ले जाए जाने वाले बच्चों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए।

पहचान पत्र

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों और उनके अभिभावकों/संरक्षकों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराए।
- जो भी लोग बच्चों को लेने या छोड़ने आएँ, उनके पास पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया गया उनका पहचान-पत्र होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड उनके पहचान-पत्रों की हर बार (जब भी वे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसर में प्रवेश करें या छोड़कर जाएँ) जाँच करें।
- सभी सहायक कर्मचारियों, ड्राइवरों और परिचारकों का उनके चयन से पहले पुलिस सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
- बच्चों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

ले जाने और छोड़ने की सुविधाएँ

- अभिभावकों द्वारा बच्चों को छोड़ने और ले जाने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए। शिक्षक अपनी-अपनी कक्षाओं के साथ उस स्थान पर एक तरफ उपस्थित रहें और स्वयं अभिभावकों/ सरंक्षकों से उनके बच्चों को ले लें या सौंपें।
- यह स्थान दरवाज़े/परदे या रस्से द्वारा प्रतिबंधित हो। किसी भी बाहरी व्यक्ति और अभिभावक को इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- अभिभावकों को चाहिए कि वे उन व्यक्तियों के फोटोग्राफ़, नाम और पहचानने के दस्तावेज़ उपलब्ध कराएँ, जो बच्चे को ले जाएँगे/ छोड़ने आएँगे। किसी भी अन्य व्यक्ति को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से बच्चे को ले जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
- अच्छा हो कि कोई परिचारक (महिला) बस/ कैब में बच्चों को लेने के पहले स्थान से छोड़ने के अंतिम स्थान तक उनके साथ रहे।
- मुख्य द्वार के दोनों ओर दर्शाए गए गतिरोधक और सड़क संकेत होने चाहिए जहाँ बच्चों को छोड़ा जाए और जहाँ से बच्चों को ले जाया जाए।

क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न (सी.सी.टी.वी.)

- प्रवेश द्वार, निकास द्वार, स्वागत क्षेत्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, खेल का मैदान, शौचालयों के बाहर और बरामदों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने चाहिए।

- आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार, सभी कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जा सकते हैं।
- टीवी स्क्रीन पर गतिविधियों पर लगातार नज़र रखने के लिए कम से कम एक सुरक्षा गार्ड रखा जाना चाहिए।
- संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वे सी.सी. टी. वी. के फुटेज की नियमित रूप से जाँच करें।
- सी.सी.टी.वी. के फुटेज को साझा करने और मिटाने के नियम और उपनियम बनाए जाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी सी.सी. टी.वी. कैमरे काम कर रहे हों।
- सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाते समय बच्चों के निजी सरोकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बच्चों से दुर्व्यवहार और उनके अधिकार

- बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। उनकी किसी भी समय उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
- बच्चों को उचित तरीके से अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इस काम के लिए वेब पर उपलब्ध संसाधन (ई-विषयवस्तु, वीडियो/दृष्टांत), कठपुतली प्रदर्शन आदि उपयोग में लिए जा सकते हैं।
- यदि शिक्षक और अभिभावक बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा का कोई संकेत पाते हैं तो उन सबको इसे पहचानने, समझने और उपयुक्त प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।
- सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम (लैंगिक उत्पीड़न से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012) और बाल अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में रिपोर्ट करने और उसके निवारण के लिए क्रियाविधि तय की जाए।

विभिन्नताओं का आदर करना और भेदभाव से बचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आपातकाल से निपटना

आपातकाल प्रोटोकॉल

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में आपातकालीन संपर्कों की सूची होनी चाहिए जो स्टाफ को आसानी से उपलब्ध हो। इसमें अभिभावकों/संरक्षकों, अग्निशमन विभाग, क्लीनिक/अस्पताल, एम्बुलेंस तथा पुलिस विभाग के टेलीफोन नंबर शामिल होने चाहिए।
- सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में आपालकाल की दशा में स्पष्ट लिखित कार्यविधियाँ होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में स्टाफ आवश्यक रूप से निम्नलिखित कार्यविधि का अनुपालन करे—
  - एक स्टाफ सदस्य घायल बच्चे के पास रहे।
  - एक स्टाफ सदस्य एम्बुलेंस के लिए और बच्चे के अभिभावकों को टेलीफ़ोन करे।
  - यदि संभव हो तो बच्चे को सीधा अस्पताल पहुँचा दें।
  - कम से कम दो से तीन स्टाफ दूसरे बच्चों की देखभाल के लिए विद्यालय में रुके रहें।
- सभी दुर्घटनाओं या घटनाओं को एक दुर्घटना या घटना रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए,

जिसमें दुर्घटना/घटना का समय और प्रकृति तथा की गई कार्रवाई शामिल होनी चाहिए।

- जिन दुर्घटनाओं में चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता न हो, उनके बारे में उसी दिन अभिभावकों या संरक्षकों को सूचित किया जाना चाहिए।
- निम्नलिखित आपातकालीन संपर्क नंबरों को एक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए और प्रत्येक कक्षा-कक्ष में इसे लगाया जाना चाहिए।

आपातकालीन फोन नंबर

- प्राचार्य ....
- डॉक्टर ....
- अस्पताल या नज़दीकी ....
- आपातकाल केंद्र ....
- एम्बुलेंस ....
- अग्निशमन सेवाएँ ....
- गैस एजेंसी ....
- इलेक्ट्रीशियन ....
- पुलिस स्टेशन ....
- चाइल्ड हेल्पलाइन ....
- अन्य ....

नोट— आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

कीट नियंत्रण

डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया और अन्य कीट बीमारियों एवं एलर्जी की रोकथाम के लिए समय-समय पर कीट नियंत्रण के उपाय करने चाहिए।

आपदा प्रबंधन

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के विकास और प्रमुख स्थानों पर चित्रात्मक भवन निकासी योजना प्रदर्शित की जानी चाहिए। साथ ही नकली आग और भूकंप अभ्यास/भवन निकासी का अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए।
- निकास चिह्न द्वारा साधारण और आपात निकासों को आवश्यक रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

अग्नि सुरक्षा

उपयुक्त स्थलों पर अग्निशामक जैसा सुरक्षा उपकरण लगाया जाना चाहिए और जल तथा रेत की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहनी चाहिए।

टेलीफोन

यदि मोबाइल फोन सिग्नल उपलब्ध न हो रहे हों तो ऐसी स्थिति के लिए कक्षा से निकटतम दूरी पर टेलीफोन उपलब्ध रहने चाहिए।

प्राथमिक सहायता किट की उपलब्धता

प्राथमिक सहायता किट का नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाना चाहिए और इसे एक ऐसे निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाना चाहिए जो स्टाफ की तुरंत पहुँच में हो, परंतु बच्चों की पहुँच से दूर हो। नीचे किट में रखी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में उपयोगी हो सकती है—

- पट्टियाँ
- चिपकने वाला प्लास्टर
- रोगाणुरहित (स्टेरलाइज्ड) चिकित्सीय रूई
- गॉज (Gauge)
- थर्मामीटर
- कैंची
- चिमटी
- रोगाणुरोधक (एंटीसेप्टिक) मलहम

- पोटैशियम परमैंग्नेट
- जेनेशियन वॉयलेट आदि।

स्वास्थ्य, स्वच्छता (हाइजीन) और पोषण

स्वास्थ्य और टीकाकरण

- वर्ष में कम से कम दो बार बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जानी चाहिए तथा उसके बाद की जाने वाली कार्रवाई की जानी चाहिए तथा जब कभी और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- सभी बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड अवश्य रखा जाना चाहिए।
- शारीरिक वृद्धि की त्रैमासिक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और बच्चों की ऊँचाई तथा भार का रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए।

स्वच्छता पद्धतियाँ

- यदि बच्चे कपड़े खराब कर लें या कक्षा में पेशाब कर दें तो उन्हें तुरंत साफ़ करना चाहिए। यदि वे कक्षा-कक्ष में उल्टी (वमन) कर देते हैं, तो उनके कपड़े तुरंत बदल देने चाहिए। इस आयु के बच्चों का नाक बहना एक बहुत सामान्य बात है, अत: रुमाल के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- अंदर और बाहर दोनों परिवेश साफ़-सुथरे होने चाहिए। प्रत्येक कक्षा में और बाहरी परिसर में बड़े ढक्कनदार कचरा-पात्र उपलब्ध रहने चाहिए।
- साबुन या लिक्विड सोप और हाथ पोंछने के लिए तौलिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वयस्कों द्वारा हाथ धोने का उपयुक्त तरीका अपनाया जाना चाहिए और नियमित रूप से इसे बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- 3–4 वर्ष के बच्चे के शौचालय जाते समय उसके साथ एक सहायक/आया रहनी चाहिए।

अनुपूरक पोषण

अनिवार्य

- बच्चों के लिए प्रतिदिन संतुलित अनुपूरक पोषण का प्रावधान होना चाहिए।
- भोजन करने का स्थान साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए।

वांछनीय

- पोषक संतुलित आहार पकाने के लिए एक अलग रसोईघर होना चाहिए (यदि पूर्व-प्राथमिक केंद्र पर पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है)।
- बच्चों को दोपहर से पहले नाश्ता देने के समय (फल खाने का समय) की योजना होनी चाहिए।

रिकॉर्ड, रजिस्टर और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन के लिए, सभी आवश्यक रिकॉर्ड तथा रजिस्टर व्यवस्थित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इनके रखरखाव को सहज बनाने के लिए इनका प्रारूप सरल होना चाहिए। रिकॉर्डों और रजिस्टरों को भरना इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए प्रयास कम हो जाएँ। यहाँ नीचे कुछ रिकॉर्ड और रजिस्टर का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक केंद्र द्वारा अवश्य

बनाया जाना चाहिए और नियमित रूप से इनका इस्तेमाल व रखरखाव करना चाहिए।

रिकॉर्ड

प्रवेश रिकॉर्ड

प्रवेश रिकॉर्ड, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर के वातावरण, स्वास्थ्य स्थिति, आवश्यकताओं और योग्यताओं आदि को जानने में मदद करते हैं, जिससे कि बच्चे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें शामिल है—

प्रवेश/पंजीकरण फॉर्म— अभिभावक जब पहली बार अपने बच्चे के पंजीकरण के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से संपर्क करते हैं, तो उन्हें एक प्रवेश फॉर्म दिया जाता है। यह द्विभाषी (स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेज़ी) में होना चाहिए, ताकि अभिभावक उसे आसानी से पढ़ सकें और जानकारी दे सकें। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय अधिकारी या शिक्षक को चाहिए कि वह पंजीकरण के समय प्रत्येक बच्चे के पंजीकरण की तिथि, प्रवेश संख्या और अनुक्रमांक संख्या तथा संपर्क विवरण रिकॉर्ड करे।

बच्चे का स्वास्थ्य रिकॉर्ड— प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बच्चे के टीकाकरण संबंधी विवरण, एलर्जी (यदि हो), जारी दवाइयाँ आदि शामिल होनी चाहिए। किसी बीमारी से पीड़ित बच्चे के चिकित्सीय विवरण की प्रति रिकॉर्ड और संदर्भ हेतु अवश्य रख ली जानी चाहिए।

प्रगति रिकॉर्ड

प्रगति रिकॉर्ड एक दी गयी अवधि में बच्चों की विविध विकासात्मक गतिविधियों में प्रगति का रिकॉर्ड होता है जो बच्चों के कार्य/पोर्टफोलियो और शिक्षक के प्रेक्षणों पर आधारित होता है।

पोर्टफोलियो (जानकारी संग्रह)— यह बच्चों के कार्य और उपलब्धियों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे का नाम, व्यक्तिगत विवरण, बच्चे के साथ की गई रोचक चर्चाओं पर टिप्पणियाँ, फोटोग्राफ, नेटवर्क, चित्रकारी और लिखने के नमूने, बच्चे द्वारा बनाए मॉडलों के फोटोग्राफ, खेल में बच्चे की भागीदारी, भूमिका निर्वाह में बच्चे की भागीदारी आदि शामिल होती है।

प्रगति रिकॉर्ड का विश्लेषण यह देखने के लिए किया जा सकता है कि क्या बच्चा अपनी आयु के अनुसार विकसित हो रहा है या नहीं। तदनुसार उस बच्चे के साथ काम करते समय शिक्षक अपनी तकनीकों को परिवर्तित कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो विशेष सहायता और सहारा दिया जा सकता है।

शिक्षक डायरी

शिक्षकों को एक डायरी बनाकर रखनी चाहिए जिसमें दैनिक गतिविधियों की योजना का विस्तृत विवरण हो। उसे योजना बनानी होगी कि कैसे खेल और गतिविधियों को साथ मिलाया जाए; इसके लिए क्या सामग्री चाहिए; और पाठ्यचर्या संप्रेषण के लिए किस प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का नियोजन किया जाना है। प्रत्येक दिन के अंत में, उन्हें चाहिए कि वह अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, जैसे— क्या योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई या नहीं? क्या योजना अनुसार बच्चे

भाग ले पाए? क्या समय पर्याप्त था? क्या कोई कठिनाइयाँ सामने आईं? आदि पर विचार-विमर्श करें और अपनी भावी गतिविधियों में परिवर्तन करे या तदनुसार उन्हें नियोजित करें।

आने वालों का रिकॉर्ड

प्रत्येक आने वाले का रिकॉर्ड पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर में रखा जाना चाहिए। रजिस्टर के रिकॉर्ड में (i) आने वाले का नाम, (ii) आने का समय और जाने का समय, (iii) पता, (iv) फोन नंबर, (v) आने का उद्देश्य और (vi) व्यक्ति का नाम जिससे मिलना है, शामिल होना चाहिए।

फीडबैक (प्रतिपुष्टि) रिकॉर्ड

आने वाले अधिकारियों, मेहमानों, अनुसंधानकर्ताओं और अभिभावकों की प्रतिपुष्टि, प्रेक्षणों/अनुशंसाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बारे में उनकी प्रतिपुष्टि या अनुभव को इस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के संचालन के सुधार हेतु बहुत मददगार हो सकता है।

विविध रिकॉर्ड

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन की सूचना या विवरण, जैसे— शिक्षक-अभिभावक सभा का रिकॉर्ड, लोगों के टेलीफोन नंबर जिनसे कभी-कभी काम पड़ता है, आदि को रिकॉर्ड करने के लिए विविध रिकॉर्ड रजिस्टर बनाये जा सकते हैं। इसमें अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित वांछित जानकारी और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची आदि रखी जा सकती है। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के रिकॉर्ड सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

रजिस्टर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर बनाकर रखे जाते हैं, जैसे— स्टॉक रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर आदि। शिक्षकों को इनके रखरखाव की जानकारी होनी चाहिए।

शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर

स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण होता है। उन्हें उपस्थिति रजिस्टर में प्रतिदिन हस्ताक्षर करने चाहिए और विद्यालय आने और छोड़ने का समय लिखना चाहिए। यह अनुशासन (समय की पाबंदी और नियमितता दोनों) व हिसाब-किताब रखने (वेतन) आदि के लिए आवश्यक है। प्रविष्टियाँ स्याही से लिखी होनी चाहिए और रिक्त स्थान नहीं छोड़े जाने चाहिए। यदि संभव हो तो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन बायोमेट्रिक शिक्षक उपस्थिति पद्धति काम में ली जानी चाहिए।

बच्चों की उपस्थिति का रजिस्टर

बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

स्टाफ प्रोफाइल रजिस्टर/सर्विस बुक

स्टाफ प्रोफाइल का रजिस्टर या जिसे 'सर्विस बुक' कहते हैं, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में बनाकर रखी जानी चाहिए। इसमें शिक्षकों की विस्तृत जानकारी, जैसे— नाम, शैक्षिक योग्यताएँ, अनुभव, घर का पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आई.डी., परिवार के सदस्यों की संक्षिप्त जानकारी और उनके टेलीफ़ोन

नंबर होते हैं। रिकॉर्ड में ताज़ा जानकारियाँ, जैसे— शिक्षक द्वारा निभाए गए उत्तरदायित्व, पाठ्यक्रमों (यदि कोई हो) के लिए प्रतिनियुक्ति, जिन संगोष्ठियों, कार्यशालाओं में उसने भाग लिया; सेवाकालीन उपलब्धियाँ, चिकित्सीय समस्याएँ (यदि कोई हैं), सेवाकाल में कभी विशेष छुट्टी के लिए अर्जी दी हो, ऑफिस से कोई ऋण स्वीकृत हुआ आदि जोड़ते रहना चाहिए।

लेखा रजिस्टर

लेखा रजिस्टर में इकट्ठी हुई फीस, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए खरीदी गई वस्तुओं का खर्च, बच्चों को दिए जाने वाले अनुपूरक भोजन पर किया गया खर्चा, कपड़ों, जैसे— तौलियों, परदों, मेज़पोश, चादरों आदि की धुलाई का खर्चा, किसी समारोह में उपयोग में ली गई पोशाकों का किराया आदि का विवरण शामिल हो सकता है। इसकी प्रधानाध्यापक/प्राचार्य और प्रशासक द्वारा नियमित जाँच होनी चाहिए।

स्टॉक रजिस्टर

प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए एक स्टॉक रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसमें सभी वस्तुओं या सामान, जैसे— सहायक उपकरणों, खिलौने, फर्नीचर आदि की विस्तृत सूची होनी चाहिए।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय अपना कैलेंडर नियोजित और विकसित कर सकता है, जिसमें आगामी विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की संभावित तिथियों का उल्लेख होना चाहिए। यह अकादमिक सत्र के प्रारंभ में विकसित किया जाना चाहिए। इसकी प्रस्तावित विषयवस्तु निम्नलिखित है—

- सामान्य, स्थानीय और गज़टेड छुट्टियों (राजपत्रित अवकाश) की जानकारी
- अभिभावक-शिक्षक बैठकों की तिथियाँ
- क्षेत्र भ्रमण/सैर, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि की तिथियाँ
- ई.सी.सी.ई./पूर्व-प्राथमिक विद्यालय/वार्षिक दिवस आदि की तिथियाँ।

समन्वयन और अभिसरण

छोटे बच्चों के अधिकतम विकास और वृद्धि के लिए उनके स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की सेवाएँ देने के लिए लक्ष्यों का अभिसरण और विभिन्न क्षेत्रों, जैसे— स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण द्वारा समग्र बाल विकास की साझा समझ होनी चाहिए। सभी हितधारकों, जैसे— नीति नियोजकों, प्रशासकों, क्रियान्वयन कर्ताओं, प्रदाताओं, अभिभावकों और समुदाय के बीच ऊर्ध्व अभिसरण (vertical convergence) होना चाहिए और साथ ही विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा विभागों के उप-विभागों, चिकित्सा, स्वास्थ्य, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न घटकों को सँभालने वालों में सम-स्तर अभिसरण (horizonal convergence) होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम

को सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न कार्यों के लिए विकासात्मक समन्वयन और अभिसरण महत्वपूर्ण है।

प्रशासनिक

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को लागू करने की योजना, प्रबंध और समीक्षा के लिए एक उपयुक्त समन्वयन और अभिसरण पद्धति स्थापित करनी चाहिए। सभी संबंधित मंत्रालय, जैसे— शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल मंत्रालय, शहरी विकास और पंचायती राज मंत्रालय, इसके अंग होने चाहिए।
- कार्यक्रम लागू करने के लिए उपयुक्त नियोजन और समय पर वित्तीय संसाधनों, जैसे— जनशक्ति, आधारभूत संरचना और शिक्षण-अधिगम सामग्री के आवंटन को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विद्यालय शिक्षा अधिकारियों और आई.सी.डी.एस. अधिकारियों के बीच राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित अंतर-विभागीय बैठकें आयोजित होनी चाहिए और इनमें आधारभूत स्तर पर सुधार के बारे में कार्रवाई बिंदु निकलने चाहिए।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.), विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) और निजी क्षेत्र, टेक्निकल पार्टनर्स आदि एजेंसियों जिनके पास प्रारंभिक शिक्षा में तकनीकी विशेषता और अनुभव हैं, का एक संसाधन समूह बनाया जाना चाहिए जो बच्चों के साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान करने और संसाधन सामग्री तैयार करने में मदद कर सके और पाठ्यचर्या विकसित कर सकें।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ई.सी.सी.ई. परिषद का गठन किया जाना चाहिए जैसा कि ई.सी.सी.ई. राष्ट्रीय नीति 2013 में दर्शाया गया है।
- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में या बिल्कुल पास स्थित होने चाहिए। पूर्व-प्राथमिक के समय का प्राथमिक विद्यालय के साथ सही तालमेल होना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षा घटक का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में से एक को सशक्त संबंध विकसित करने, गुणवत्तापूर्ण और सहज पारगमन (पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक स्कूल में) सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी बना देना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों को साझा किया जाना चाहिए। वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, प्रात:कालीन सभा आदि जैसी गतिविधियाँ मिलकर की जानी चाहिए।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- सभी अधिकारियों और चयनित निकायों तथा विभिन्न नागरिक समाज निकायों के सदस्यों

के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर अभिविन्यास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अधिगम और विकास के मध्य संबंधों पर समझ बनाने के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, प्राथमिक शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए।
- क्षमता निर्माण और पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, (रा.शै.अ.प्र.प.) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.), एम.एल.टी.सी., आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की विभिन्न संसाधन एजेंसियों की भी साझेदारी होनी चाहिए।
- क्लस्टर संसाधन केंद्र, ब्लाक संसाधन केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजरों आदि द्वारा ऑनसाइट मार्गदर्शन तथा अकादमिक मदद उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, आँगनबाड़ी कार्यकताओं और अन्य संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.), बी.आर.सी., एम.एल.टी.सी., आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र और सी.आर.सी. की आधारभूत संरचनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

निगरानी और देखरेख

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की संयुक्त निगरानी और देखरेख होनी चाहिए।
- प्रधानाध्यापक को मौके पर ही शिक्षकों को मार्गदर्शन देना चाहिए।
- प्रधानाध्यापक को सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसर में ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी देखरेख न हो।
- शिक्षकों और सहायकों को चाहिए कि वे विभिन्न खेल क्षेत्रों का अवलोकन तथा देखरेख करें।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के अभिभावक, विद्यालय प्रबंध समिति (एस.एम.सी.) के सदस्य होने चाहिए। इस समिति के सदस्यों को पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की देखरेख करनी चाहिए और इसके सुचारु संचालन में मदद करनी चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकों, क्षेत्रीय या मंडल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और राज्य शिक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वे नियमित रूप से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसरों का दौरा करें और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय गतिविधियों की गुणवत्ता का अवलोकन करें। सभी अधिकारियों को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम का उद्देश्य समझना चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक को चाहिए कि वह पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों का 3 माह में कम से कम एक बार दौरा करें और जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करें। दौरे अर्थपूर्ण होने चाहिए और उन्हें प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त समय बिताना चाहिए। इन दौरों के समय, शिक्षकों का अभिविन्यास किया जाना चाहिए और उन्हें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में हुए नए परिवर्तनों की जानकारी दी जानी चाहिए।

संदर्भ

एन.सी.टी.ई. 2009. *शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— व्यावसायिक और मानवीय शिक्षक तैयार करने की दिशा में*. नई दिल्ली.

एम.एच.आर.डी. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 1992. *प्रोगाम ऑफ एक्शन*. शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2010. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009. *भारत का राजपत्र*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2013. स्टेटस रिपार्ट— पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक/शिक्षा के लिए *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार*. सी.ए.बी.ई. (केब) समिति, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली.

एम.डब्ल्यू.सी.डी. 2013. *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति*. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2013. *राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2013. *ई.सी.सी.ई. के लिए गुणवत्ता मानक*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 1996. *प्री-स्कूल के लिए न्यूनतम विनिर्देश*. नई दिल्ली.

———. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. नई दिल्ली.

———. 2006. *ई.सी.ई. पर राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र (3.6)*.

———. 2016. *निजी प्ले स्कूलों के लिए नियामक दिशानिर्देश*. शिक्षा प्रभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद्, नई दिल्ली.